दिनांक 2 नवम्बर, 1982

क्रमांक 1640-ज(II)-82/38266.—श्री गुरदयाल सिंह, पुत्र श्री धौंकलराम, गांव रोढा, तहसील व जिला भिवानी की दिनांक 30 जुलाई, 1982 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री गुरदयाल सिंह को मुवलिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 3917-र-III-69/27132, दिनांक 11 नवम्बर, 1969, अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 तथा क्रमांक 1789-ज(I)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मन्जूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती कड़िया के नाम रबी, 1983 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 5 नवम्बर, 1982

क्रमांक 1522-ज(I)-82/38980.—श्री वाशी राम, पुत्र श्री सधा राम, गांव धूराला, तहसील व जिला अम्बाला की दिनांक 16 मार्च, 1979 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री वाशी राम को मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब/हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 419-र-4-70/34459, दिनांक 25 फरवरी, 1970 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मन्जूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती वीरांवाली के नाम खरीफ 1979 से 150 रुपये वार्षिक तथा रबी 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1644-ज(I)-82/39001.—श्री अमीर सिंह, पुत्र श्री दिवान चन्द, गांव पंजलासा, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला की दिनांक 3 मार्च, 1980 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अमीर सिंह को मुब्लिग 200 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब/हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 4487-जे. एन.-III-66/10086, दिनांक 2 जून, 1966 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 6 दिसम्बर, 1970 द्वारा मन्जूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती गुर देवी के नाम खरीफ 1980 से 350 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 11 नवम्बर, 1982

क्रमांक 1434-ज(I)-82/39766.—श्री होतु राम, पुत्र श्री नौनीत राम, निवासी नई आबादी निक्ट बैरक नं. 28, कैम्प यमुना नगर, जिला अम्बाला की दिनांक 7 अप्रैल, 1982 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री होतु राम को मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे पजाब/हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 768-ज-I-73/19340, दिनांक 28 जून, 1973 तथा अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मन्जूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती लक्ष्मी बाई के नाम खरीफ 1982 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 12 नवम्बर, 1982

क्रमांक 1685-ज (I)-82/39989.—श्री रामसरूप, पुत्र श्री मोलड, गांव मुरथल, तहसील व जिला सोनीपत की दिनांक 14 जनवरी, 1982 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुई श्री राम सरूप को मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 424-ज-II-78/7924, दिनांक 17 मार्च, 1978 द्वारा मन्जूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती दाखोदेवी के नाम खरीफ 1982 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1643-ज(I)-82/40002.—श्री मालिक चन्द, पुत्र श्री नानक चन्द, म. नं. 4670/3, पटेल रोड, अम्बाला शहर जिला अम्बाला की दिनांक 27 अप्रैल, 1980 को हुई मृत्यू के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम,

1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1)तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री भालिक चन्द को मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 5426-र-III-70/1787, दिनांक 19 जनवरी, 1971 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमति जीवन देवी के नाम खरीफ, 80 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 19 नवम्बर, 1982

क्रमांक 1721-ज(II)-82/40628.—श्री साधु राम, पुत्र श्री सुखदेव गांव भागवी, तहसील दादरी, जिला भिवानी की दिनांक 18 जुलाई, 1980 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री साधु राम को मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2269-ज(I)-74/514, दिनांक 7 जनवरी, 1975 द्वारा मन्जूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमति श्योकोरी के नाम रबी 1981 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1726-ज(II)-82/40632.—श्री बेग राज, पुत्र श्री देवतिया गांव सिवाह, तहसील व जिला जीन्द दिनांक 8 जुलाई, 1981 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पुर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री बेगराज को मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 5700-आर (4)-67/4305, दिनांक 22 नवम्बर, 1967, अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 तथा अधिसूचना क्रमांक 1789-ज(I)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मन्जूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमति खजानी देवी के नाम रबी 1982 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 3 नवम्बर, 1982

क्रमांक 1748-ज(II)-82/41819.—श्री अमर सिंह, पुत्र श्री भगवान सिंह, गांव बीर बांगड़ा, तहसील व जिला जीन्द की दिनांक 15 जुलाई, 1981 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पुर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अमर सिंह को मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2251-ज-(II)-72/31544, दिनांक 23 अगस्त, 1972 तथा अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-(I)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मन्जूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमति ज्ञान कौर उर्फ गिनी के नाम रबी, 1982 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1742-ज(II)-82/41823.—श्री प्रिभू सिंह, पुत्र श्री धन सिंह, गांव बव्वा, तहसील कोसली, जिला रोहतक की दिनांक 12 फरवरी, 1981 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम 1948 (जैसा कि उसहरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री प्रिभू सिंह को मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब/हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1148-जे.एन. (III)-66/2768, दिनांक 17 फरवरी, 1966, अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 तथा अधिसूचना क्रमांक 1789-जे(I)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मन्जूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमति मानकौर के नाम खरीफ, 1981 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

टी. आर. तुली,

अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।